



मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//


भोपाल, दिनांक ०१ नवम्बर, 2018

क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बैच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 673/2018 में दिनांक 20/09/2018 को पारित आदेश के परिपालन में रिवर रिज्यूनेशन कमेटी (आरआरसी) का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- (1) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल
- (2) आयुक्त, उद्योग संचालनालय, भोपाल
- (3) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय
- (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

2/ सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कमेटी को, आगामी बैठक हेतु आवश्यक एजेंडा/फोडलर उपलब्ध कराया जायेगा ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(डॉ० कैलाश बुन्देला) 11/11/18
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक ०१ नवम्बर, 2018

- 1/ आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल ।
 - 2/ आयुक्त, उद्योग संचालनालय, भोपाल ।
 - 3/ सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव 11/11/18
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग


S.P. (S/Member)
11/11/18